भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2510
दिनांक 10 अगस्त 2026

ई-100 अवसंरचना, वाहन अनुकूलता और खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव

2510 **श्री विवेक के. तन्खाः**

क्या ***पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार के दिसंबर 2026 तक 500 और 2027 तक 5,000 खुदरा विक्रय केन्द्र स्थापित करने के लक्ष्य के सापेक्ष ई-85 और ई-100 ईंधन की बिक्री करने वाले खुदरा विक्रय केन्द्रों की वर्तमान संख्या कितनी है;

(ख) क्या ई-100 की कीमत अभी पेट्रोल के बराबर है और यदि हां, तो क्या सरकार इसे उपभोक्ता व्यवहार्यता के लिए अनुशंसित 70 प्रतिशत की सीमा से नीचे लाएगी;

(ग) उत्पादित गन्ना, मक्का और चावल की कितनी मात्रा ई-20 और ई-100 कार्यक्रम के तहत इथेनॉल बनाने के लिए उपयोग में लाई गई है; और

(घ) वैश्विक भूख सूचकांक में भारत के स्थान को देखते हुए क्या इथेनॉल के मिश्रण की मात्रा बढ़ाने से पहले, खाद्य सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया गया था?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क): सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) ने 5 जून 2026 को दिल्ली/एनसीआर क्षेत्र, पुणे, मुंबई, ठाणे और नागपुर क्षेत्रों में फैले 48 खुदरा बिक्री केन्द्रों में ई85 ईंधन लॉन्च किया है। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के अनुसार, आईएस 15464 के तहत उत्पादित एथेनॉल का उपयोग केवल पेट्रोल के साथ मिश्रण स्टॉक के रूप में किया जा सकता है। इसलिए, ई100 अपने आप में एक स्टैंडअलोन ईंधन नहीं है।

(ख): (क) के मद्देनज़र प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(ग): एथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) 2023-24, 2024-25 और वर्तमान ईएसवाई 2025-26 के दौरान एथेनॉल उत्पादन के लिए एफसीआई चावल और मक्का की मात्रा के संबंध में विवरण निम्नानुसार हैं:

मात्रा लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) में

फीडस्टॉक	ईएसवाई 2023-24	ईएसवाई 2024-25	ईएसवाई 2025-26 (30.6.2026 तक)
अतिरिक्त एफसीआई चावल	-	31.11	39.28
मक्का	75.38	131.18	67.87

(घ): 20% एथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य ने खाद्य फसल की उपलब्धता या भारत की खाद्य सुरक्षा को प्रभावित नहीं किया है। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खुली खरीद प्रणाली का पालन करती है, जिसके तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), अन्य कल्याणकारी योजनाओं (ओडब्ल्यूएस) और निर्धारित बफर स्टॉक के लिए खरीद को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है।

केवल अधिशेष खाद्यान्न, जैसा कि खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा सभी खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने और निर्धारित बफर स्टॉक को बनाए रखने के बाद निर्धारित किया गया है, एथेनॉल उत्पादन के लिए अनुमत है।

यह कार्यक्रम अधिशेष कृषि उत्पादों, जिनमें खराब खाद्यान्न, टूटे चावल और मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त खाद्यान्न, तथा अन्य अनुमोदित खाद्य सामग्री शामिल हैं, का उपयोग करके "वेस्ट-टू-वेल्थ" दृष्टिकोण का पालन करता है, जो अन्यथा अप्रयुक्त रह सकते हैं या भंडारण में खराब हो सकते हैं।

यह किसानों के लिए अतिरिक्त आय सृजित करता है, भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करता है और आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता को कम करता है, जबकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की पूरी सुरक्षा करता है। सरकार प्रधानमंत्री जी-वन योजना के तहत कृषि अवशेषों से द्वितीय पीढ़ी (2जी) एथेनॉल को भी बढ़ावा दे रही है, जिससे अनाज आधारित फीडस्टॉक पर निर्भरता और कम हो रही है।

तदनुसार, यह कार्यक्रम ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करता है, किसानों के लिए एक अतिरिक्त लाभकारी बाजार प्रदान करता है और आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता को कम करता है, और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की पूरी सुरक्षा करता है।
